न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/214

1. रतनलाल पुत्र जमनालाल जाति भील
2. कमला बाई पुत्री जमनालाल जाति भील
3. कैलाश पुत्र जमनालाल जाति भील
4. प्रेमचन्द पुत्र जमनालाल जाति भील
5. सुमित्रा पुत्री जमनालाल जाति भील निवासीगण सुकैत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा(राज0)

——अपीलांटगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह आत्मज धीरप सिंह, जाति राजपूत निवासी कोटा स्टोन की फैक्ट्री, नयागावं, नारायणपुरा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
2. राधेश्याम आत्मज बंशीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी जोशी मोहल्ला बाजार सुकैत, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–

1. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 02.06.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 68/2023 (5/2023) में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में वादीगण के खाते व कब्जे में आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के खाते की भूमि है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कोई स्वत्व एवं हक अधिकार निहित नहीं है। अप्रार्थीगण बाहुबल एवं धनबल के आधार पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादीगण प्रार्थीगण भील जाति के गरीब व्यक्ति है एवं असहाय है तथा उनकी विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण को जबरन कब्जा करने से रोकना निहायत जरूरी है। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बंध नहीं है। अप्रार्थीगण जबरन वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने पर आमाद हो रहे है। यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपने खाते एवं कब्जे की आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका द्रव्य में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अन्त में अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 118, 132, 133, कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा तहसील रामगंजमण्डी पर जबरन मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2024 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02. 08.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है तथा अपील के न्यायिक

निस्तारण में सहायक है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जेन्युईन है तथा उक्त दस्तावेजों पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत नही है तथा अपील के निस्तारण में सहायक नहीं है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिस पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है अतः प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटगण अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिनकी भूमि पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने का प्रयास किये जाने के बाद भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करने में त्रुटि की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण द्वारा उक्त आराजी में ही अपना मकान बनाया हुआ है, जहां पर अपीलांटगण अपने परिवार के साथ रहकर अपनी आराजी पर काश्त तथा देखभाल करते है, जबकि रेस्पोडेन्टगण की वहां पर कोई भूमि नहीं होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्टगण द्वारा जबरन अपीलांटगण की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश किये जाने के बाद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खातेदार होने के उपरान्त भी सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होना मानकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में

अपीलांटगण को उनके खातेदारी की आराजी नया खाता संख्या 33 सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार वर्तमान में अपीलांटगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती रूप से दर्ज है, अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण/अपीलांटगण के पक्ष में बनना पाया जाता है, यह मानने के पश्चात भी खातेदार अपीलांटगण को अपनी आराजी को रेस्पोडेन्टगण के द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कब्जे को रोके जाने के लिये रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कर अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र खारिज करने में भारी त्रुटि की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांटगण द्वारा अपने वादपत्र व प्रार्थना–पत्र के साथ अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी के सम्बंध में जमाबंदी की नकल तथा मकान व जमीन के फोटोग्राफ जिस पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा जबरन जे.सी.बी. मशीन द्वारा फसल खराब करते हुए दीवार तोड़कर पॉलिश पत्थर डालकर नई दीवार बनाये जाने का प्रयास किये जाने के बावजूद भी उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर अपीलांटगण को होने वाली अपूरणीय क्षति के बिन्दु को अपीलांटगण के विरूद्ध तय करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा अपूरणीय क्षति होने के बाद भी सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में नहीं मानकर रेस्पोडेन्टगण को कब्जा करने की खुली छूट देते हुए रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाकर प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 निरस्त किये जाने तथा रेस्पोडेन्टगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम रामपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 118, 132, 133, 134 कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि पर रेस्पोडेन्टगण जबरन कब्जा करने का प्रयास नहीं करें तथा प्रार्थीगण अपीलांटगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांटगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया है जो बिल्कुल सही है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण को कोई स्वत्व एवं हक अधिकार निहित नहीं है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण की खरीदशुदा भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को खरीद किया जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है। अपीलांटगण द्वारा अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अपीलांटगण का कोई प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के

सम्बंध में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 विधि सम्मत है तथा इमसें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08. 2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रामपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 118, 132, 133, 134 कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर के सम्बंध में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ना तो वादग्रस्त आराजी के खातेदार है और ना ही उनकी ओर से ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होना प्रकट होता हो। चूंकि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांटगण के पक्ष में होना प्रकट होता है। अपीलांटगण का कथन है कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा उनके खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से उनके खेत पर बनी दीवार एवं कच्चे मकान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अपीलांटगण ने अपने कथनों के समर्थन में मोके के कुछ फोटोग्राफ प्रस्तुत किए है जिनके अवलोकन से वादग्रस्त आराजी पर पक्की दीवार एवं कच्चा मकान बना होना प्रकट होता है। साथ ही विवादित भूमि पर मलबा डाला जाना तथा नीवं खोदा जाना प्रकट होता हैं। चूंकि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के खातेदारी की आराजी है अतः हमारे मत में रेस्पोडेन्टगण को अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने एवं अपीलांटगण को उनके कब्जे काश्त में दखलदाजी करने तथा बेदखल करने का प्रथम दृष्ट्या कोई अधिकार नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को संरक्षित रखे जाने हेतु रेस्पोडेन्टगण को रिकॉर्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.08.2024 में प्रार्थीगण अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में मूलवाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उभयपक्षकारान की साक्ष्योपरांत गुणावगुण पर अंतिम निर्णय होना शेष है अतः विवादित भूमि को संरक्षित किए जाने हेतु रिकॉर्ड व मोके की

राजस्व अपील प्राधिकरण

यथास्थिति कायम किया जाना आवश्यक है ताकि वाद बहुलता नहीं बढ़े तथा उभयपक्षकारान को अनावश्यक विवादों का सामना नहीं करना पड़े। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 68/2023 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टगण मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रामपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 118, 132, 133, 134 कुल किता 4 रकबा 1.25 हैक्टेयर के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार) 2/6/25
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा